न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–238/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/238)

1. राजेश पुत्र छोटूराम जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. महेन्द्र पुत्र स्व0 छोटूराम जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
3. रामजीलाल पुत्र स्व0 छोटूराम जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
4. मैनादेवी पुत्र पत्नी स्व0 छोटूराम जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।
5. पूजा पुत्री स्व0 छोटूराम पत्नी श्री अनिल कुमार जाति रेगर निवासी ग्राम सूरजपुरा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. कानाराम पुत्र भैरू जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
7. सुखदेव पुत्र भैरू जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
8. सुरेश पुत्र भैरू जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
9. परमेश्वरी पुत्री भैरू पत्नी सुवालाल जाति रैगर निवासी ग्राम गोरधनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
10. गंजू पुत्री भैरू पत्नी ओमप्रकाश जाति रेगर निवासी ग्राम केसरपुरा तहसील व जिला अजमेर
11. नाथूराम पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
12. जीवराम पुत्र रामदेव जाति रेगर निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
13. सन्तरादेवी पत्नी रामदेव जाति रेगर निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर
14. ममता पुत्री रामदेव पत्नी सावरलाल जाति रेगर निवासी ग्राम बरना तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
15. लीला पुत्री रामदेव पत्नी महेन्द्र जाति रेगर निवासी ग्राम बुहारू तहसील किशनगढ जिला अजमेर
16. सुमन पुत्री रामदेव पत्नी दुर्गालाल जाति रेगर निवासी किशनगढ़ जिला अजमेर
17. किशन पुत्र रामपाल जाति रेगर निवासी ग्राम मोहनपुरा किशनगढ़ जिला अजमेर

अपीलांट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, किशनगढ़ जिला अजमेर।
2. किरण पत्नी संतोषचंद नाहर जाति जैन साकिन बोरावड हाल निवास–21/01 टाईप–4 क्वार्टर, पी0डब्ल्यू0डी कॉलोनी,

लखनऊ,उत्तरप्रदेश (हाल निवास–भूतडा स्टोन्स, परबतसर रोड, किशनगढ जिला अजमेर, राज0)

3. शर्मिला पत्नी सुरेशचंद जाति जैन निवासी 252/बी, मोहननगर थाढीपुरा मुरार, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश(हाल निवास–भूतडा स्टोन्स, परबतसर रोड, किशनगढ जिला अजमेर, राज0)
4. भंवरलाल पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
5. सुगना पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।
6. सोहन पुत्र धन्ना जाति रेगर निवासी–ग्राम मोहनपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ विरूद्ध निर्णय दिनांक 05.08.2022 राजस्व वाद संख्या 67/2021

उपस्थितः–

1. श्री सी0पी0 शर्मा, मृणाल शर्मा अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः– 11.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 67/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251/अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए तथा 02 से 06 अप्रार्थीगण बावजूद तामिल सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई और अप्रार्थी संख्या 01 राज्य सरकार की ओर से पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा लेकिन जवाब प्रस्तुत नहीं किया लेकिन तहसीलदार किशनगढ द्वारा पत्र संख्या–22/73 दिनांक 07/01/2021 द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की और स्पष्ट करते हुए स्वीकार किए कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य के आवगमन हेतु खसरा नम्बर–650/09 में से 0.0669 हैक्टर भूमि अधिकृत योग्य जिसकी डी0एल0सी दर पच्चीस लाख रूपए प्रति बीघा है तथा यह भी स्वीकार किया कि आवागमन के लिए प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटमत रास्ता नहीं है तथा खसरा नम्बर 650/09 से रास्ता प्रस्तावित है जिसमें मार्बल का गोदाल संचालित है इनत थ्यों को अवलोकन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने बहस मे कथन किए कि खसरा नम्बर 650/09 की भमि औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित

होकर नगर परिषद किशनगढ के नाम दर्ज है और चूंकि नगर परिषद को पक्षकार नहीं बनाया है किजसरो अधीनस्थ न्यायालय ने अपना क्षेत्राधिकार का अभाव मानकर अपीलाधीन निर्णय से प्रार्थीगण का आवेदन खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ के द्वारा प्रकरण संख्या 67/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण/अपीलांट ने अपने संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 10 का रकबा 11–15–00 बीघा में आवगमन के लिए नजरिये नक्शे में इस खसरा नम्बर 10 के पूर्व में स्थित सूघम व निकटम रासते को नजरिये नक्शे में ए, बी, सी, डी के रूप में दर्शाया है जिसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है और तसहलदार के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के साथ अपने कथनों में स्वीकारोक्ति की है इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय किसी भी प्रभावित व्यक्ति को पक्षकार बनाना प्रकरण में आवश्यक समझता है तो भी उन्हें अपने स्वविवेकाधिकरों के तहत उसे पक्षकार बनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण विधि अनुसार गुणावगुण पर किए जाने की अधिकारिता एवं क्षेत्राधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त होने के उपरांत भी विधि विरूद्ध त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जिसे निरस्त किया जाना न्यायसंगत है। प्रार्थीगण की भूमि में आवगमन के लिए रास्ते की भूमि के पक्षकरों को अप्रार्थीगण के रूप में बनाया गया और उन्हें विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करने के लिए सूचित किया गया उसके बावजूद उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई जिससे स्पष्ट है कि उनको आपत्ति एवं ऐतराज रास्ता उपलब्ध कराने में नहीं है और औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि का रूपांतरण अप्रार्थीगण के पक्ष में ही किया गया है तब नगर परिषद किशनगढ इस प्रकरण में आवश्यक एवं उचित पक्षकार नहीं माना जा सकता इसके विपरीत जाकर विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ द्वारा प्रकरण संख्या 67/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आवेदक की खातेदारी कृषि भूमि में कृषीय कार्य के आवागमन हेतु खसरा नम्बर 650/9 में से 0.0669 हैक्टर भूमि अधिग्रहित योग्य है एव अधिग्रहित भूमि की डी0एल0सी0 दर 2500000/– रूपए प्रति बीघा है एवं आवेदित भूमि मे आवागमन हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता नहीं है। उक्त खसरा नम्बर 650/9 जिसमें से रास्ता प्रस्तावित है में मार्बल गोदाम संचालित है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन

पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राथी/अपीलांट द्वारा अपने खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में आने जाने हेतु रास्ते के लिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संबंधित तहसीलदार, किशनगढ द्वारा मौका रिपोर्ट दिनांक 20.10.2021 प्रस्तुत की गई उक्त मौका रिपोर्ट में संबधित राजस्व कर्मचारियों द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी/काश्तकारी की आराजीयात में आने जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी/काश्तकारी आराजीयात में आने जाने हेतु खसरा संख्या 650/9 में प्रस्तावित रास्ता निकटतम रास्ता उक्त रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर स्पष्ट रूप से उपलब्ध होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संबंधित खातेदार नगर परिषद, किशनगढ को पक्षकार नही बनाए जाने के कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र 5.8.2022 को तकनीकि बिंदु पर निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जबकि विधिनुसार विवादित आराजीयात बाबत न्यायालय को यह प्रतीत होने पर की संबंधित पक्षकार प्रकरण आवश्यक पक्षकार है को न्यायालय उसे प्रकरण में पक्षकार के रूप में मुर्तिब कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित कर सकते हैं परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना को केवल तकनीकि बिंदु के आधार पर दिनांक 5.8.2022 को निरस्त किए जाने का आदेश प्रदान कर दिया जो कि विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.8.2022 को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे विवादित आराजीयात बाबत संबंधित पक्षकार को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित कर सभी पक्षकारों को समुचित जवाब एंव सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नए सिरे से निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2022 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अजमेर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे विवादित रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना करते हुए पक्षकारों की उपस्थिति में वैकल्पिक रास्ते को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट पुनः मंगवा कर सभी खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित कर साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधिनुसार निर्णय पारित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 11.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

संशोधित आदेश दिनांक 07.2.2023

राजेश वगैरह बनाम राज.सरकार वगैरह (238/2022)

नोट दिनांक : 07.02.2023 :– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा.दी. को स्वीकार किया जाता हैं तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपील में पारित आदेश दिनांक 11.01.2023 में पृष्ठ संख्या 04 के पैरा संख्या 7 की दूसरी लाईन व तीसरी लाईन में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 01/2022 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2022 की जगह उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 67/2021 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 दुरूस्त किया जाता किया जाकर संशोधित आदेश दिये जाते है।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर